

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 77/2020 अपील प्रकरण में आपत्ति प्रार्थना पत्र

1. भंवरलाल सुथार पिता भोलूराम सुथार बनाम 1. जमनालाल पिता भोलूराम सुथार
निवासी कोतवाल का खेडा तहसील निवासी कोतवाल का खेडा तहसील
माण्डलगढ मृतक के बजाय - माण्डलगढ व अन्य
1-1. श्रीमती घीसीबाई पत्नी स्व. भंवरलाल सुथार निवासी कोतवाल का खेडा तहसील
माण्डलगढ व अन्य

-अपीलार्थी

- विपक्षीगण

उपस्थित -

1. श्री श्यामलाल वैद अधिवक्ता - अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रामस्वरूप असावा अधिवक्ता - रेस्पोजेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.06.2023

अपील प्रकरण में रेस्पोजेण्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2014 निर्णय दिनांक 21.03.2016 के विरुद्ध अपील पेश की हैं, जिसमें तहसीलदार भीलवाडा द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन निर्णय एवं आदेश पारित किये गये हैं। जिसकी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1)(एफ) के तहत निदेशक भू अभिलेख, संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को प्राप्त हैं। भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (क) के तहत बंदोबस्त या भू अभिलेख से संबंध नहीं रखने वाले मामलों में तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश की अपील कलक्टर के यहां होती हैं। जबकि उक्त अपील प्रकरण में तहसीलदार का निर्णय व आदेश भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से पारित किये गये हैं तथा ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय/आदेश की अपील कलक्टर महो. के क्षेत्राधिकार से परे हैं। उक्त परिस्थिति में अपील इस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के परे होकर पोषणीय नहीं हैं। निवेदन हैं कि रेस्पोजेण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलार्थी अधिवक्ता को दिलायी गयी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

रेस्पोजेण्ट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2014 में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन निर्णय एवं आदेश पारित किये गये हैं। जिसकी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1)(एफ) के तहत निदेशक भू अभिलेख, संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को प्राप्त हैं। उक्त परिस्थिति में अपील इस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के परे होकर पोषणीय नहीं हैं। निवेदन हैं कि अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के परे होने से खारिज की जावे। इस बाबत विधिक दृष्टान्त 2016 (1) आरआरटी 726 रेवेन्यु बोर्ड



सतपाल बनाम मनीराम, आरआरडी 2010 पेज 614, आरआरडी 2009 पेज 123, आरआरडी 1989 पेज 266 पेश किये हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय को मुगालता में रखने हेतु प्रस्तुत किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत गलत तौर माना हैं। उक्त निर्णय भू अधिनियम की धारा 135(1)की परिधि में आता हैं। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1)(एफ) के तहत भी नहीं माना जा सकता हैं। इस कारण यह अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार की हैं। निवेदन हैं कि रेस्पोजेण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 11/2014 निर्णय दिनांक 21.03.2016 में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) में दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों की सुनवाई की जाकर गवाह बयानादि दर्ज किये जाने के बाद निर्णय पारित किया गया।

इस प्रकार यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि प्रस्तुत अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2)के तहत निर्णय पारित किया गया हैं, जिसकी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(1)(एफ) के तहत निदेशक भू अभिलेख, संभागीय आयुक्त महो./अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महो. को प्राप्त हैं। रेस्पोजेण्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं।


उपरोक्त विवेचन अनुसार रेस्पोजेण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

रेस्पोजेण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1)(एफ) के तहत निदेशक भू अभिलेख, संभागीय आयुक्त महो./अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महो. को प्राप्त होने से, अपीलार्थी की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटायी जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को लिखाया जाकर बार हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलकत्ता
भीलवाड़ा